आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/11/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **शस्त्र वाद सं0 5/12** **सरकारी मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम शुकदेव प्रसाद, पिता–स्व0 द्वारिका प्रसाद, सा0–घेघटा, थाना–छपरा मुफसिल, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2822/हि0शा0 25.8.12 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि शुकदेव प्रसाद, पिता–स्व0 द्वारिका प्रसाद, सा0–घेघटा, थाना–छपरा मुफसिल, जिला–सारण एवं उनके पटीदार रंजीत कुमार पिता–जयराम सिंह के बीच दिनांक 29.5.12 को आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें लाठी डंडे का प्रयोग किया गया। साथ ही शुकदेव प्रसाद के द्वारा अपने लाईसेंसी बंदूक (अनुज्ञप्ति सं0 51/76) से हत्या करने की नीयत से गोली मारक जख्मी कर देने का आरोप अंकित है। इससे संबंधित प्राथमिकी स्थानीय थाना छपरा मुफसिल में कांड सं0 127/12 दिनांक 29.5.12 धारा 341,323, 307, 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज है। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के ज्ञापांक 2822/हि0शा0 दिनांक 25.8.12 के द्वारा उक्त शस्त्र की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की अनुशंसा की गयी, जिसके आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2.10.12 के द्वारा उक्त शस्त्र की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी शुकदेव प्रसाद से कारणपृच्छा की गयी कि क्यों नहीं उनके शस्त्र की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी जाए। विपक्षी के द्वारा अपना जवाब दिनांक 27.12.12 को समर्पित किया गया।	

विपक्षी के द्वारा उक्त शस्त्र को निलम्बन मुक्त करने की कार्रवाई शीघ्र करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद सं0 15796/2014 दायर किया गया है।

दिनांक 31.10.14 को विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि उक्त थाना कांड में वस्तुतः उनके शस्त्र से गोली चली ही नहीं है। इससे संबंधित प्रतिवेदन पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय (प्रथम) की पर्यवेक्षण टिप्पणी में भी अंकित है।

विपक्षी को निर्देश दिया गया कि वे उक्त कागजात अविलम्ब अगली सुनवाई की तिथि 25.11.14 के पूर्व इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिसके आलोक में विपक्षी के द्वारा कुछ कागजात उपलब्ध कराए गए।

विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गयी। विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलन के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि विपक्षी के द्वारा किया जा यह दावा कि उनके शस्त्र से गोली नहीं चली है, से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, प्रथम के पर्यवेक्षण टिप्पणी में अंकित नहीं है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी शुकदेव प्रसाद, पिता–स्व0 द्वारिका प्रसाद, सा0 घेघटा, थाना–छपरा मुफसिल, जिला–सारण के द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। अतः शस्त्र अधिनियम की धारा–17 के अंतर्गत विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से इनके शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 51/76 को रद्द किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 07/न्या० दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि- S.P., सारण / जिला शस्त्र उपाधिकारी, सारण / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधिशाखा, सारण